(iii) cynoacrylate and pressure sensitive ad'nesives (developed by Indian Institute of Chemical Technology and since productionsed).

iv. pheromones (developed by Indian Institute of Chemical Technology and since productionised).

v. ethanol from molases (developed by National Chemical Laboratory and since commercialised).

vi. forromagnetic chromium dioxide (developed by National Aeronautical Laboratory, negotiations for commercialisation are in progress).

vii. bricks from fly ash (developed by Central Fuel Research Institute and since productionised).

viii. improved oil expeller (developed by Mechanical Research and Development Organisation and since commercialised).

ix. automatic weather station (developed by National Institute of Oceanography, negotiations with potential users are in progress).

x. flexible graphite tapes and sheets (developed by National Chemical Laboratory and since commercialised).

biological rope contractor (developed by National Environmental Engineering Research Institute and since commercialised).

xii. palm oil extraction developed by Regional Research Laboratory. Trivandriimn and pilot plant set up).

(b) and (c) Yes, Sir. Both the CSIR and National Research Development Corporation (NRDC) have established mechanisms to publicise the technologies available to industry. CSIR has further P-' interaction with industry organisations and industrial units to promote the use of its technologies.

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं की शीर्षक का आवंटन

723. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को एक बार शीर्षक का आवंटन कर दिये जाने के बाद, किसी भी दशा में (चाहे उस पत्रिका का प्रकाशन बंद हो जाए, या उसके स्वामी की मृत्यु हो जाती है) उसका आबटन किसी दूसरे समाचार पत्र/पत्रिका को नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या जो व्यक्ति नई पत्रिका प्रकाशित करना चाहते हैं उन्हें ऐसी स्थिति में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति क्या है और इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। तथापि किसी आवेदक को शीर्षक का आवंटन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तब किया जाता है जब भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा यह सत्यापित कर दिया जाता है कि शीर्षक अमुक आवंटन के लिये उपलब्ध है ।

(ख) मालिक द्वारा की गई घोषणा को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित कर दिए जाने के बाद वह शीर्षक उस मालिक की सपत्ति बन जाता है । वह शीर्षक मालिक द्वारा अथवा उसके मालिक की मृत्य के पश्चात कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है । प्रकाशन बंद हो जाने की सूरत में, मालिक द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष नई घोषणा दायर करने के बाद उसे फिर से शुरू किया जा सकता है ।

(ग) नए आवेदकों को कठिनइयां होती हैं लेकिन जब कभी विशिष्ट शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती हैं तो उनक जांच की जाती है ।